रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 338] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 4, 1986/आषाढ़ 13, 1908
No. 338] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 4, 1986/ASADHA 13, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

परिवहन मंत्रालय

(जल-भूतल परिवहन विभाग)

(पत्तन पक्ष)

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 1986

अधिसूचना।

सा. का. नि. 933(अ).—केन्द्रीय सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3, उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री टी. के. ए. नायर, अध्यक्ष, मेरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथारिटी के स्थान पर श्री ए. चेरियन, सदस्य, मेरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथारिटी को कोचीन पोर्ट के न्यास मंडल

में न्यासी नियुक्त करता है और भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय, जलभूतल परिवहन विभाग) (पत्तन पक्ष) की अधिसूचना सं. सा. का नि. 562(अ) दिनांक 31 मार्च, 1986 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 8 के आगे "श्री टी. के. ए. नायर, अध्यक्ष, मेरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथारिटी" शब्द के स्थान पर "श्री सी० चेरियन, सदस्य मेरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथारिटी" शब्द रखे जायेंगे ।

[फा. सं. पा. डब्ल्यू./पा. टी. बा.-19/85]

योगेन्द्र नारायण, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TRANSPORT

(Department of Surface Transport)

(Ports Wing)

New Delhi, the 4th July, 1986

NOTIFICATION

G.S.R 955 (E) :—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints Shri C. Cherian, Member, Marine Products Export Development Authority, on the Board of Trustees of the Port of Cochin Vice Shri. T. K. A. Nair, Chairman, Marine Products Export Development Authority and makes the following amendment in the Notification of the Government of India in the Ministry of Transport, Department of Surface Transport (Ports Wing) No. G. S. R. 562 (E), dated the 31st March, 1986 namely :

In the said notification, against Serial Number 8, for the words "Shri T. K. A. Nair, Chairman, Marine Products Export Development Authority", the words "Shri C. Cherian, Member, Marine Products Export Development Authority", shall be substituted.

[F. No. PW|PBT-19|85]

YOGENDRA NARAIN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986